FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत .... उपखण्ड अधिकारी डूंगला .... मुकाम .... उपखण्ड अधिकारी डूंगला

किस्म मुकदमा .... बनाम .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख जारी हुए
3.9.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आए बार-बार आवाजें लगवाई गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं आए न ही इनकी ओर से किसी ने उपस्थिति दी अतः विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस को सुना गया वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया गया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी नम्बर 1163/79 रकबा 0.5400 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी के किसी इन्य भू-भाग पर विपक्षीगण प्रवेश नहीं करे, कोई कास्तकारी, अवैध निर्माण अथवा संरचना नहीं करें। प्रार्थी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में कोई खलल एवं बाधा पैदा नहीं करे। इस सम्बन्ध वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया तथा राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान दोहराये गये तथ्यों के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 3.5.2021 को जारी किया गया अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को कन्फर्म किया जाता है। साथ ही वि[illegible] 1 व 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से [illegible] प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी [illegible] रकबा 0.5400 हैक्टेयर में प्रवेश नहीं करे किसी प्रकार [illegible] कोई निर्माण कार्य नहीं करे अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करे। कोई खलल एवं बाधा पैदा नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2021.12.27 16:21:55 IST
Reason: SelfAttested